न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 147/2011

वादीगण :-

1. नरसिंह पुत्र रावत
2. पांचू पुत्र रावत

जातियान-बावरी,निवासी-सांगावास
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मनोहर पुत्र पुखा
2. सहदेव पुत्र पुखा
3. अर्जुन पुत्र शिम्भू
4. धन्ना पुत्र शिम्भू

जातियान-बावरी,निवासीगण-सांगावास
तह0-जैतारण (जिला-पाली)

5. तहसीलदार, जैतारण
   भूमिधारी राजस्थान सरकार
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा धारा 128 एल.आर.एक्ट 1956

तारीख रजू:.11/07/2011

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मय वादीगण स्वयं।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मय प्रति0 स्वयं।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 01/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तथा धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा=सांगावास, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 11-17 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के सगे भाई हैं। वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष शिम्भू के पुत्रगण रावत (फौत), पुखा (फौत), अर्जुन व धन्ना हुए तथा रावत (फौत) के पुत्रगण नरसिंह व पांचू हुए तथा पुखा (फौत) के पुत्रगण मनोहर व सहदेव हुए। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 की पेश की हैं। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/4-1/4 हिस्सा हैं। उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती खातेदारी में दर्ज हैं, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक हैं। उक्त कृषि भूमि शामलाती खातेदारी होने से वादी अपनी कृषि भूमि में खाद बीज हेतु बैंक से ऋण नहीं ले सकता हैं, न ही अपनी कृषि भूमि को काबिल काश्त कर सकता हैं। शामलाती कृषि भूमि होने से वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयाँ पैदा होती हैं। वादीगण ने उक्त कृषि भूमि को कानूनन बंटवाड़ा हेतु दिनांक 28/06/2011 को कहा, तो प्रतिवादीगण स्पष्ट ईन्कार हुए, इतना ही नही वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण आये दिन दखल व दरतन्दाजी करते हैं। इस कारण से वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा शामलाती कृषि भूमि में किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना अकृषि कार्य मकान निर्माण हेतु पत्थर डाले व नींवे खोदना चालू किया। तब वादीगण ने उक्त गैरकानूनी कृत्य करने से मना किया, तो प्रतिवादीगण नहीं माने व लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा हुए। यदि प्रतिवादीगण कृषि भूमि को अकृषि कार्य के लिए काम में ले लेते हैं, तो वादीगण को अपने अधिकारों

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से महरूम होना पड़ेगा व पक्षकारान् के बीच अनावश्यक मुकदमें बाजी होगी, जिसे रोकने हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती हैं। जिनका बंटवाड़ा कानूनन सभी पक्षकारान् का समान रूप से उतर की ओर स्थित रास्ते की तरफ हो तो सभी पक्षकारान् को न्याय मिल सकेगा। यदि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी हटधर्मिता से शामलाती कृषि भूमि रास्ते की तरफ ले लेते हैं, तो वादीगण को अपने साम्पैतिक अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा व उक्त शामलाती कृषि भूमि का सैटलमेन्ट द्वारा जारी मीमों ट्रेस नक्शे से मौके पर सभी खातेदारान की कृषि भूमि का नाप-चौंप कर पत्थरगढ़ी की जाना भी आवश्यक हैं। इसलिए भी वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीगण ने उक्त वाद बंटवाड़ा का पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 5 भूमिधारी होने से बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया हैं। बिनायवाद दिनांक 28/06/2011 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि के बंटवाड़ा हेतु कहा, तो स्पष्ट ईन्कार हुए व वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखल व दस्तन्दाजी की मना करने पर नहीं माने एवं नाप-चौंप करने हेतु कहा, तो ईन्कार होने पर बमुकाम-सांगावास, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ। जो श्रीमान् के अधिकार क्षैत्र में हैं। इस प्रकार वकील मय वादीगण ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाने अर्थात् बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादीगण की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रति0 संख्या 5 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 06/09/2011 को की गई। वकील प्रति0 संख्या 1 से 4 की ओर से दिनांक 06/09/2011 को जबाबदावा एवं फहरिश्त मय दस्तावेज पेश किया, जिसकी प्रतिलिपि वकील वादीगण को दिलाई गई, सा0मि0 किया गया। वकील वादीगण ने प्रस्तुत जबाबदावा में उभय पक्षों का खातेदार काश्तकार होना स्वीकार किया, किन्तु भूमि संयुक्त व शामलाती न होना अंकित करते हुए उक्त भूमि वर्षो पूर्व बंटी होना अंकित किया हैं। जबाबदावा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा किये जाने में कोई विवाद नहीं होना दर्शाते हुए ईश्तदुआ की हैं। प्रति0 के नाम से कब्जा काश्त होना अंकित करते हुये मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाड़ा मुख्य मंत्री आवास योजना से अनुदान राशि स्वीकृति होने से निर्माण कार्य को रूकवाने हेतु प्रस्तुत उक्त वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज होने से माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी होने से प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा किया जावें। जिससे पृथक से तनकियात कायम किये जाने तथा शहादत वादी की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। वकील प्रति0 ने प्राथमिक डिक्री में कोई आपति व्यक्त नहीं की हैं। प्रस्तुत वाद पत्र जबाबदावा नजरी नक्शा एवं राजस्व रेकर्ड का अध्ययन कर बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः चूँकि वादीगण स्वयं राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार होना बखूबी प्रमाणित हैं, जिससे उक्त वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना तथा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरा वादीगण की भूमि का बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद गौजा-सांगावास, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 11-17 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादीगण की संयुक्त एवं शामलाती भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस तकासमा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग किया जाकर तरमीम किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मौके पर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाकर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2014/764 दिनांक 07/08/2014 एवं स्मरण पत्र पत्रांक/कोर्ट /14/1165 दिनांक 02/12/2014 एवं 261 दिनांक 15/04/2015 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–सांगावास पर फर्द मौका दिनांक 01/06/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा०मि० की गई।

बंटवाड़ा प्रस्ताव पर बहस वकुलाय सुनी गई। वादीगण पक्षकार एवं प्रतिवादीगण पक्षकार को भी सुना गया। बहस के दौरान वकील वादीगण ने तथा उपस्थित पक्षकारों ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील मय प्रतिवादीगण ने भी माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की स्वीकारोक्ति व्यक्त की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 01/06/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 01/06/2015 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–सांगावास, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 182 रकबा 11–17 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	नरसिंह पांचू पि० रावत कौम–बावरी सा० देह खातेदार।	182 182/4	1-00-00 1-19-00	बा०दो० बा०दो०	0.31 रू. 0.60 रू.
	योग	2	2-19-00	बा०दो०	0.91 रू.
2	मनोहर सहदेव पि० पुखा कौम–बावरी सा० देह खातेदार।	182/1	3-00-00	बा०दो०	0.93 रू.
3	अर्जुन पुत्र शिम्भू कौम–बावरी सा० देह खातेदार।	182/3	2-19-00	बा०दो०	0.91 रू.
4	धना पुत्र शिम्भू कौम–बावरी सा० देह खातेदार।	182/2	2-19-00	बा०दो०	0.92 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 01/06/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 01/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित अटल सेवा केन्द्र शिविर–सांगावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज०)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. नरसिंह पुत्र रावत
2. पांचू पुत्र रावत

जातियान–बावरी,निवासी–सांगावास
तहसील–जैतारण (जिला–पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मनोहर पुत्र पुखा
2. सहदेव पुत्र पुखा
3. अर्जुन पुत्र शिम्भू
4. धन्ना पुत्र शिम्भू

जातियान–बावरी,निवासीगण–सांगावास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)

5. तहसीलदार, जैतारण
   भूमिधारी राजस्थान सरकार
   तह0–जैतारण (जिला–पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा धारा 128 एल.आर.एक्ट 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0:147/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मय वादीगण स्वयं मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मय प्रति0 स्वयं मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 01/06/2015 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–सांगावास, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 182 रकबा 11-17 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	नरसिंह पांचू पि0 रावत कौम–बावरी सा0 देह खातेदार।	182 182/4	1-00-00 1-19-00	बा0दो0 बा0दो0	0.31 रू. 0.60 रू.
योग		2	2-19-00	बा0दो0	0.91 रू.
2	मनोहर सहदेव पि0 पुखा कौम–बावरी सा0 देह खातेदार।	182/1	3-00-00	बा0दो0	0.93 रू.
3	अर्जुन पुत्र शिम्भू कौम–बावरी सा0 देह खातेदार।	182/3	2-19-00	बा0दो0	0.91 रू.
4	धना पुत्र शिम्भू कौम–बावरी सा0 देह खातेदार।	182/2	2-19-00	बा0दो0	0.92 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 01/06/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	2	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	2	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	–		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–		मुत्फरिक		
मिजानः–	8	00	मिजानः–	1	00

नोटः– इसे खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner